दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनाँक 05-08-2025 को प्रकाशित

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, शिकारपुर, हरिद्वार
Haridwar Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. Shikarpur, Haridwar

पत्रांक 1425–27 / वाहन नीलामी पत्रा0 / 2025–26 दिनांक 04 अगस्त 2025

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरिद्वार दुग्ध उत्पाक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)निकट लण्ढ़ौरा के डेयरी परिसर में विभागीय निष्प्रयोज्य महेन्द्रा जीप संख्या यू0पी0 32एल 8934 की **"जहां है जिस स्थिति में है"** के आधार पर नीलामी की जानी है। अतः इच्छुक निविदादाताओं से शील बन्द निविदा रजिस्टर्ड डाक / कोरियर / निविदा पेटिका के माध्यम से दिनांक 18.08.2025 को अपराह्न 2:00 बजे तक संस्था के प्रधान कार्यालय शिकारपुर में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपराह्न 2:30 बजे शिकारपुर स्थित दुग्ध संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं एवं निविदा कमेटी के सम्मुख खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवसों में वाहन का अवलोकन कर नियम एवं शर्तों सहित निविदा फार्म संस्था के प्रशासन अनुभाग से मु0 590.00 नगद जमा कर **दिनांक 18.08.2025 के अपराह्न 12:30 बजे** तक प्राप्त कर सकते हैं, निविदा फार्म व शर्तें यू0सी0डी0एफ0लि0, की वैबसाईट **www.ucdfaanchal.org** से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस हेतु पृथक से मु0 590.00 का बैंक ड्राफ्ट जो संस्था के पक्ष में हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट– स्क्रैप क्रेताओं को वरियता प्रदान की जायेगी।

प्रधान प्रबन्धक **अध्यक्ष**

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/QgrcJHsBmFvwqixrwFmDstrWxdqqFKvrtBG?projector=1&messagePartId=0.1

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

वाहन संख्या यू0पी0 32 एल 8934 (महेन्द्र जीप) की नीलामी हेतु निविदा फार्म

मूल्य–590.00 (पॉच सौ नब्बे रूपये) मात्र सभी करो सहित

कमांक................................

1–आवेदक/फर्म का नाम..

2–आवेदक/फर्म का वर्तमान पता दूरभाष संख्या सहित..

....

3–टेण्डर की धनराशि (अंको में)...

(शब्दो में)...

4–जमानत धनराशि जमा का विवरण :–

(अ) नकद की स्थिति में–रसीद संख्या ....दिनांक............................

(ब) ड्राफ्ट की स्थिति में–ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक............................

बैंक का नाम..धनराशि रू0 में..............................

5–अन्य विवरण यदि कोई हो...

6–मैंने टेण्डर के समस्त नियम एवं शर्ते जो टेण्डर फार्म के साथ संलग्न हैं, पढ़ एवं समझ ली हैं जिससे मैं पूर्णरूप से सहमत हूॅ। मैंने यह टेण्डर वाहन संख्या यू0पी0 32 एल 8934 (महेन्द्र जीप) के लिए प्रस्तुत किया है तथा उक्त धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0/अन्य कर जो देय होंगे, मेरे द्वारा अलग से देय होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम निविदादाता..
पिता/पति का नाम..
पता..
....

....

दूरभाष नम्बर...

Scanned with OKEN Scanner

वाहन नीलामी हेतु शर्ते

1. वाहन जैसा है, जिस स्थिति में है नीलाम होगा, इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी। वाहन के लिए बोली बोलने वाले की यह अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह पहले वाहन का निरीक्षण कर लें।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व रू0 5000.00 (पॉच हजार रू0) दुग्ध संघ हरिद्वार के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. अधिकतम बोलीदाता को बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत जमानत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृति के पश्चात् दुग्ध संघ हरिद्वार के कोषागार में जमा करनी होगी।
4. जी0एस0टी0 व अन्य कर अतिरिक्त जो भी नियमानुसार देय होगा उसमें शेष 75 प्रतिशत धनराशि के साथ जमा करना होगा।
5. निष्प्रयोज्य वाहन किसी भी कार्य दिवस में हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार) पो0 लण्ढौरा के परिसर में देखी जा सकती है।
6. प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ हरिद्वार द्वारा अन्तिम बोली स्वीकार किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को बोली की शेष स्वीकृति सूचना के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी पुनः की जायेगी।
7. बिक्री कर एवं अन्य कर वाहन उठाने का व्यय यदि कोई देय हो तो टेण्डरदाता को वहन करना होगा। दुग्ध संघ हरिद्वार द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यय देय नहीं होगा।
8. नीलामी उपरान्त वाहन का रजिस्ट्रेशन इत्यादि का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
9. जिस व्यक्ति के हक में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को निष्प्रयोज्य वाहन का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर निष्प्रयोज्य वाहन को नीलामी स्थल से हटा देना होगा। अन्तिम स्वीकृति के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
10. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बदले में बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक उसके पास कानूनी अधिकार न हो।
11. नीलामी समिति को उच्चतम या कोई भी बोली स्वीकार न करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति, जिस पर किसी प्रकार का संदेह हो नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकता है।
12. स्कैब क्रेताओं को वरियता प्रदान की जायेगी।
13. किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निविदा कमेटी एवं प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ हरिद्वार के पास सुरक्षित होगा। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये बोली को अस्वीकार कर दें। उपरोक्त नीलामी की शर्तो के विषय में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में निदेशक, महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड, जाखन देवी अल्मोड़ा का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
14. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शर्ते होंगी तो नीलामी से पूर्व सुनाई जायेंगी।

प्रधान प्रबन्धक
हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
शिकारपुर (हरिद्वार)

Scanned with OKEN Scanner